



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-21

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 259155 दिनांक 05/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Trilok Kumar Sharma S/o OMPRAKAS H SHARMA	श्री त्रिलोक कुमार शर्मा	95	44.58 SQ. METER	Private	ADINATH ENCLAVE Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना आदिनाथ एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 95 क्षेत्रफल 44.58 वर्गमीटर का पट्टा दिनांक 06.05.2022 को आवेदक सिग्ना होम्स जयपुर के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात विक्रय-पत्र दिनांक 21.08.2024 को सिग्ना होम्स जरिये पार्टनर श्रीमती रेणुका अग्रवाल पत्नि श्री अशोक अग्रवाल के नाम जारी किया गया। विक्रय-पत्र दिनांक 06.09.2025 को मैसर्स श्रीराम डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री अशोक कुमार पुत्र सूरजमल अग्रवाल के द्वारा श्री त्रिलोक कुमार शर्मा के नाम



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

किया गया।
तत्पश्चात
आवेदक द्वारा
वाद-विवाद का
शपथ-पत्र प्रस्तुत
किया गया है।
अतः आवेदक
द्वारा नाम
हस्तान्तरण हेतु
आवेदन किया
गया है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
अग्रिम कार्यवाही
हेतु प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Trilok Kumar Sharma S/o OMPRAKASH SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पश्चात समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।